

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

NO 11/18

तारीखरजू - 14.11.18

उपनाम - भादर सिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरे

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

कदम अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा हाकिम प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रसन्नगत मूने ने सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 02.01.2019 तक विवादग्रस्त आराजो ख0न0 143/024, 144/0. 22, 148/045 कुल कित्ता 3 रकबा 0.91 है0 ग्राम नाघोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली को उक्त आराजो ने मौके की यथा स्थिति के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तानिल को सानान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि को प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी नानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तानिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों ने यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.01.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

10.12.18

प्रार्थी एवं जर्धी वकील ने उपस्थित होकर  
प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब कलने तथा  
पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से इत्मी

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक ११/१२/१८ फर्द अहकाम

Not Press  
अ/११-१२-१८  
१०/१२/१८

स्टेज पर मुकदमा खारिज करने प्रस्तुत किया है। पत्रावली तलब का प्रस्तुत हुई।  
Not Press करने से यह शर्चना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के सल्लु शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करोली)